मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक : 210/CS/2026 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2026

प्रति,

जिला कलेक्टर (समस्त),

मध्यप्रदेश

विषय- **मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश ।**

जन-विश्वास, जनकल्याण की आधारशिला है। क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग और लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उददेश्य से राज्य शासन द्वारा **मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026** प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अभियान के सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में एतद् द्वारा निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं -

1. यह अभियान दिनांक 07 अगस्त-2026 से प्रारंभ होकर 08 जनवरी-2027 तक चलेगा।
2. इस अवधि में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान प्रत्येक सप्ताह के पंचम दिवस अर्थात शुक्रवार को संचालित होगा।

3. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान दिवस अर्थात प्रत्येक शुक्रवार को (अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर) संपूर्ण प्रदेश में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की समीक्षा बैठकों का आयोजन नहीं किया जाएगा।

4. जिले में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का दिन क्षेत्र-भ्रमण को समर्पित रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन के अधिकारीगण पूर्व से चिन्हित क्षेत्रों का अनिवार्य रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण करेंगें।

5. भ्रमण के स्थान का चिन्हांकन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा । भ्रमण हेतु स्थान चिन्हांकन का तहसील/विकासखण्डवार रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाए कि प्रति सप्ताह अलग-अलग क्षेत्र और स्थानों को कवर किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, दूरस्थ अंचल और समीपस्थ क्षेत्र - इन सभी को ध्यान में रखा जाए ताकि भ्रमण के स्वरूप में संतुलन रहे और सभी क्षेत्रों का दौरा संभव हो सके।

6. अभियान अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण पूर्व नियोजित प्रकृति का होगा। प्रत्येक शुक्रवार को होने वाले भ्रमण की तिथि, स्थान एवं समय आदि की संपूर्ण जानकारी कम से कम एक सप्ताह पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा घोषित कर दी जाए एवं इस विषय में जिले के माननीय प्रभारी मंत्री एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण को तत्काल अवगत कराया जाए । जिले के आम नागरिकों को प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया तथा अन्य पारंपरिक माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर इसकी सूचना दी जाए।

7. अभियान के अंतर्गत जिस क्षेत्र का भ्रमण प्रस्तावित है, जिला कलेक्टर उस क्षेत्र की सी.एम. हेल्पलाईन तथा जन-सुनवाई में लंबित शिकायतों एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव शत-प्रतिशत शिकायतों/आवेदनों का निराकरण भ्रमण से पूर्व ही हो जाए।

भ्रमण तिथि तक जिन प्रकरणों को निराकरण शेष रह जाता है, उनका मौके पर निराकरण सुनिश्चित कराया जाए।

8. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत भ्रमण के दौरान जिन विषयों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाना है, उसकी चैक-लिस्ट इस परिपत्र के साथ **परिशिष्ट-01** पर संलग्न है।

9. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान दिवस (शुक्रवार) को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के किसी भी एक जिले का भ्रमण कार्यक्रम भी संभावित हो सकता है।

10. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान अंतर्गत जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित होगा, उस जिले के जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट-01 एवं 02** में जानकारी श्री संदीप अस्थाना, अवर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को दूरभाष क्रं - 9893270668 पर प्रेषित की जाएगी ।

11. माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिले में जिला स्तरीय समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पृथक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

12. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के संभावित भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक संक्षिप्त निर्देश **परिशिष्ट-02** पर संलग्न है ।

13. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान दिवस पर जिले के प्रभारी मंत्री/अन्य मंत्रीगण/सांसदगण/विधायकगणएवं मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, संभाग के प्रभारी सचिव, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षगण आदि भी जिले का दौरा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में औचक अथवा

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से कभी भी, कहीं भी सम्मिलित हो सकते हैं। इस विषय में संबंधित माननीय मंत्रीगण/वरिष्ठ अधिकारीगण के कार्यालय से यथासमय संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित कर जानकारी दी जाएगी । तत्पश्चात जिला कलेक्टर आगे समन्वय एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रबंधन करेंगें ।

14. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिवस पर सभी संभाग आयुक्तगण अपने-अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमित रूप से जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे।

15. अभियान के अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण के दौरान आम-नागरिकों के साथ **जनसंवाद** एवं उद्यमियों के साथ **उद्यम संवाद** का आयोजन भी किया जाएगा।

16. **जनसंवाद** के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर बैठकर क्षेत्र के आम-नागरिकों के साथ चर्चा कर शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के संबंध में संवाद किया जाएगा। इसी प्रकार **उद्यम संवाद** द्वारा क्षेत्र के बड़े,सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं कुटीर उद्यमियों को आमंत्रित कर लंबित स्वीकृतियों, सुविधाओं के प्रदाय एवं अन्य समस्याओं की जानकारी लेकर उनका शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

17. जिला कलेक्टर्स यह विशेष रूप से सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत भ्रमण कार्यक्रम आदि के साप्ताहिक आयोजन सादगी और मितव्ययिता के साथ किए जाएं। कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाए। आयोजन हेतु सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व से निर्मित अधोसंरचनाओं का ही उपयोग किया जाए और वहां बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त साज-सज्जा आदि पर व्यय न किया जावे ।

18. अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि भ्रमण पर प्रस्थान करते समय वाहन संख्या सीमित रहे और वाहन पूलिंग करना सुनिश्चित किया जावे ।

19. अभियान के अंतर्गत प्रति सप्ताह जिलो में आयोजित होने वाले भ्रमण कार्यक्रमों और उसके अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही का नियमित पर्यवेक्षण राज्य स्तर से किया जाएगा । क्षेत्र भ्रमण से पूर्व उस क्षेत्र में लंबित सी.एम. हेल्पलाईन/जन-सुनवाई/लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों की स्थिति और अभियान के फलस्वरूप प्रकरणों के निराकरण एवं लंबित प्रकरणों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए जिलो के प्रति सप्ताह परफारमेंस का श्रेणीकरण किया जाएगा ।

20. अभियान की समीक्षा समय- समय पर माननीय मुख्यमंत्रीजी और मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी ।

21. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा ।

22. मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के 04 प्रमुख स्तम्भ होंगे - संवाद, समाधान , संवेदनशीलता और सादगी ।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन का प्रतिबिंब है। इस अभियान के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(अशोक बर्णवाल)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

पृ. क्रमांक : 210 A/CS/2026 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/निज सचिव/विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण/माननीय मंत्रीगण (समस्त)
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख् सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
5. विभागाध्यक्ष (समस्त), मध्यप्रदेश ।
6. संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश ।
7. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

28/7/26

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय

परिशिष्ट क्रमांक - 01

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले विषयों की सूची-

1. सी.एम हैल्पलाईन एवं जनसुनवाई में प्राप्त भ्रमण क्षेत्र की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण।
2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज भ्रमण क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण।
3. अविवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण।
4. न्यायालयीन आदेश होने के उपरांत भी राजस्व अभिलेखों में अमल नहीं होने संबंधी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण।
5. सभी पात्र किसानों की फार्मर आई.डी. का निर्माण सुनिश्चित करना।
6. सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्डका निर्माण सुनिश्चित करना।
7. समग्र आई.डी. की ई.KYC तथा आधार कार्ड निर्माण/अपडेशन के प्रकरणों का निराकरण।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्धता की समीक्षा।
9. जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल की उपलब्धता तथा टंकी निर्माण की स्थिति की समीक्षा।
10. आंगनवाड़ी का निरीक्षण एवं कुपोषण से मुक्ति हेतु आंगनवाड़ी में बच्चों के वजन और ऊँचाई के मापन की स्थिति।
11. स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण एवं वहाँ डॉक्टर्स, पेरामेडिकल स्टॉफ, दवाएं, उपकरण आदि की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रदाय की स्थिति की जांच।
12. स्कूल/कॉलेज का निरीक्षण एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति और अध्ययन की गुणवत्ता का निरीक्षण।
13. क्षेत्र में खाद-बीज एवं अन्य आदानों की उपलब्धता की समीक्षा।
14. स्थानीय राशन की दुकान का निरीक्षण एवं आम-जनता से फीडबैक लेना।
15. विभिन्न शासकीय परिसंपत्तियों जैसे - सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जलजीवन मिशन अंतर्गत निर्मित संरचनाऐं, भवन, खेत, फसल आदि की स्थिति का निरीक्षण ।
16. शासकीय संस्थाओं जैसे -आई.टी.आई, मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक सहकारी समिति, तहसील, कृषि उपज मण्डी, पुलिस थाना, लोक सेवा केन्द्र, छात्रावास/आश्रम, औद्योगिक क्षेत्र आदि का निरीक्षण ।
17. निजी प्रतिष्ठानों जैसे - खाद-बीज की दुकान/एजेन्सी, गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक/पटाखा लायसेंस धारियों की दुकानें/गोदाम, शस्त्र विक्रेताओं की डीलरशिप, विदयालय आदि का निरीक्षण ।
18. क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं अपराध नियंत्रण के विषय में समीक्षा।
19. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन/दिव्यांग पेंशन, संबल योजना आदि का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा।
20. अन्य ऐसी स्थानीय प्रमुख बड़ी समस्यायें/शिकायतें/चुनौतियां, जिनको लेकर स्थानीय जनसमुदाय प्रशासन से शीघ्र निराकरण की अपेक्षा करता है, उनका चिन्हांकन एवं समाधान ।

परिशिष्ट क्रमांक 02

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026

माननीय मुख्यमंत्री जी के संभावित दौरे के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण कार्यक्रम पूर्व नियोजित भ्रमण कार्यक्रम की भांति होगा, जिसकी यथासमय सूचना सर्वसंबंधितों को मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्रेषित की जाएगी ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिले के भ्रमण के दौरान उस क्षेत्र का दौरा किया जाएगा, जिस क्षेत्र का भ्रमण कार्यक्रम उस सप्ताह विशेष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है।
3. यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण ऐसे स्थान पर होता है जहां 02 जिलों की सीमाएँ एक-दूसरे के अत्यधिक समीप है, तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी उस सप्ताह के लिए निर्धारित मूल जिले के भ्रमण के साथ-साथ सीमावर्ती जिले के समीपस्थ क्षेत्र में भी दौरा कर सकेंगें ।
4. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित साप्ताहिक क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में निम्नानुसार कार्यक्रम प्रमुख रूप से सम्मिलित रहेंगें -
   - स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रबुद्धजन/गणमान्य नागरिकों से अनौपचारिक चर्चा एवं जिले के संबंध में फीडबैक प्राप्त करना ।
   - जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक/जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक ।
   - संबंधित जिले की समाधान ऑनलाईन की बैठक ।
   - जिले की सबसे बड़ी चुनौतियों और सबसे बड़ी संभावनाओं पर चर्चा एवं आवश्यक निर्णय ।
   - जिले में निर्माणाधीन वृहद परियोजना/अधोसंरचना निर्माण का निरीक्षण ।
   - स्थानीय शासकीय संस्थाओं जैसे स्कूल, महाविद्यालय, पुलिस थाना, राशन की दुकान, आंगनवाडी भवन, कृषि उपज मण्डी, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास आदि का निरीक्षण ।